

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, करोली
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

क्र. 69/17

११/१०
१८/१२

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सरोसी व भूअ.नि. नरचरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करोली /नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्वय में ग्राम जार्वेर तहसील करोली व जिला करोली की जमाबन्दी क्र. 2273-76 में खाता संख्या 83 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	जार्वेर	नक्शा शीट ग्राम जार्वेर	$\frac{518}{547}$ व ख.नं. 545	$\frac{518}{545}$ व $\frac{518}{544}$

(उपखण्ड अधिकारी)
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर,
 दिनांक:- 18/12/17

क्रमांक- 2273-72
 तहसील-

1. तहसीलदार करोली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

(उपखण्ड अधिकारी)
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत